कार्यालयः— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना जिला मुरैना (म.प्र.)

निविदा आमंत्रण सूचना

एतद द्वारा यह सूचित किया जाता है कि सिविल न्यायालय सबलगढ़ जिला मुरैना (म.प्र.) के परिसर में कैंटीन संचालन हेतु 01 वर्ष की अवधि के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाती है। इच्छुक संस्थाएं/व्यक्तियों/कंपनियां, अध्यक्ष, कैंटीन संचालन समिति/प्रथम जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायालय सबलगढ़ जिला मुरैना (म.प्र.) में कार्य दिवस के दौरान निविदा के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर, शर्तों अनुसार सीलबंद निविदा अंतिम तिथि दिनांक 16/03/26 को समय सांय 05:00 बजे तक सिविल न्यायालय सबलगढ़ जिला मुरैना (म.प्र.) के नजारत अनुभाग में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत समयावधि उपरांत निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा दिनांक 18/03/26 को सांयकाल 05:00 बजे अधिकृत समिति के समक्ष खोली जावेगी, जिसमें निविदाकर्ता भी उपस्थित रह सकते है।

निविदा प्रलेख को माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की अधिकारिक वेबसाइट www.mphc.gov.in एवं https://morena.dcourts.gov.in पर देखा जा सकता है।

Sargeeta

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला मुरैना (म.प्र.)

कैंटीन संचालन हेतु निविदा फार्म तथा शर्तें

//निविदा फार्म//

कैंटीन के संचालन का स्थानः– सिविल न्यायालय सबलगढ़ जिला मुरैना (म.प्र.)

प्रथम पक्षः– अध्यक्ष, कैंटीन संचालन समिति एवं सिविल न्यायालय सबलगढ़ जिला मुरैना (म.प्र.)
सिविल न्यायालय सबलगढ़ जिला मुरैना (म.प्र.) परिसर में स्थित कैंटीन के संचालन हेतु

द्वितीय पक्षः– निविदाकर्ता का नाम–
पता–
.....

कैंटीन संचालन हेतु प्रस्तावित
(वार्षिक) राशि –
(शब्दों) में राशि

निविदाकर्ताओं से वर्ष 2026–2027 हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैः–

//निर्धारित शर्तें//

1– अनुज्ञा शुल्क सिविल न्यायालय सबलगढ़ जिला मुरैना (म.प्र.) में स्थित कैंटीन हेतु न्यूनतम रूपये 7,182/– मासिक देय की दर से होगा।

2– द्वितीय पक्ष द्वारा कैंटीन संचालन हेतु रूपये 10,000/– की एफ.डी.आर. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना के नाम से 01 वर्ष हेतु गारंटी के रूप में जमा की जावेगी, जिस पर कोई ब्याज कार्यालय द्वारा देय नहीं होगा।

3– सिविल न्यायालय सबलगढ़ जिला मुरैना (म.प्र.) परिसर में संचालक को कैंटीन के संचालन हेतु अध्यक्ष, कैंटीन संचालन समिति एवं सिविल न्यायालय सबलगढ़ जिला मुरैना (म.प्र.) द्वारा स्थान उपलब्ध कराया जावेगा तथा कैंटीन संचालक द्वारा अन्य अनावश्यक रूप से अतिक्रमण नहीं किया जावेगा।

4– प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध 01 वर्ष की अवधि हेतु संपादित किया जावेगा। अनुबंध अनुसार कैंटीन संचालन की 01 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर कैंटीन संचालन के कार्य हेतु संतुष्टि के आधार पर 01 वर्ष की वृद्धि की जा सकती है। इस हेतु उक्त राशि पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से द्वितीय पक्ष को अदा करनी होगी एवं अनुज्ञा शुल्क की उपरोक्तानुसार सिविल न्यायालय सबलगढ़ जिला मुरैना (म.प्र.) स्थित कैंटीन के संचालन हेतु एक मुश्त करनी होगी। कैंटीन संचालन हेतु अतिरिक्त रूप से 01 वर्ष की वृद्धि चाहने पर द्वितीय पक्ष को अनुबंध समाप्त होने के दिनांक से एक माह पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकारी प्रथम पक्ष को होगा।

5– कैंटीन संचालन में अनुबंध अनुसार अवधि पूर्ण होने के पूर्व यदि द्वितीय पक्ष द्वारा कैंटीन का संचालन बंद किया जाता है तो द्वितीय पक्ष को उसके द्वारा जमा की गई एफ.डी.आर. राशि लौटाई नहीं जावेगी।

6– कैंटीन संचालन को निविदा फार्म के साथ रूपये 5,000/– की जमानत राशि अध्यक्ष कैंटीन संचालन समिति/सिविल न्यायालय सबलगढ़, जिला मुरैना (म.प्र.) को देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत करनी होगी। सफल प्रथम पक्ष के अतिरिक्त शेष प्रथम पक्ष को उक्त अमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट लौटा दिया जावेगा। किंतु सफल प्रथम पक्ष की अग्रिम वाली उक्त राशि सहित कुल राशि अधिकतम बोली के बराकर हो, द्वितीय पक्ष और अध्यक्ष, कैंटीन संचालन समिति एवं सिविल न्यायालय सबलगढ़, जिला मुरैना (म.प्र.) के संयुक्त नाम से बैंक एफ.डी. के रूप में अमानत राशि के रूप में रखी जावेगी जो द्वितीय पक्ष के द्वारा शर्त के किसी भी रूप में उल्लघंन किए जाने पर समिति द्वारा सम्पहृत (जप्त) की जा सकेगी।

7— सफल द्वितीय पक्ष द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत एफ.डी.आर. अनुज्ञा अवधि की समाप्ति पर द्वितीय पक्ष को वापस की जावेगी, जिस पर कोई ब्याज नहीं होगा, परंतु सावधि पर अर्जित बैंक ब्याज द्वितीय पक्ष प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

8— द्वितीय पक्ष धारक, कैंटीन संचालन अनुबंध दिनांक/...../2026 से दिनांक/...../2027 तक आगामी 01 वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगा।

9— जिस निविदाकर्ता की अधिकतम बोली अंतिम रूप से मान्य होगी, उसे प्रथम पक्ष के अनुबंध निष्पादन दिनांक को या उसके पूर्व बोली की निर्धारित राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी तथा शेष 50 प्रतिशत राशि अनुबंध दिनांक से ठीक 06 माह पूर्ण होने के 15 दिवस पूर्व जमा करनी होगी अन्यथा अनुबंध निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

10— अनुबंध की शर्तो को द्वितीय पक्ष द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उल्लघंन करने की दशा में अथवा अन्यथा स्थिति निर्मित होने पर बिना किसी सूचना के कैंटीन अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा एवं धरोहर राशि शासन के हित में राजसात् की जा सकेगी, जिसका कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।

11— माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के आदेशानुसार या अध्यक्ष, कैंटीन संचालन समिति एवं सिविल न्यायालय सबलगढ़ जिला मुरैना (म.प्र.) द्वारा अनुज्ञा शर्तो में कभी भी परिवर्तन किया जा सकेगा, जिसका द्वितीय पक्ष को पालन करना अनिवार्य होगा।

12— कैंटीन के संचालन अथवा अनुज्ञा की शर्तो के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर विवाद का निराकरण अध्यक्ष, कैंटीन संचालन समिति एवं सिविल न्यायालय सबलगढ़ जिला मुरैना (म.प्र.) को होगा।

13— कैंटीन संचालक/द्वितीय पक्ष ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासकीय सम्पत्ति की क्षति कारित हो अन्यथा अनुज्ञा समाप्त की जा सकेगी।

14— कैंटीन संचालक/द्वितीय पक्ष कैंटीन संचालन के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई विधि विरूद्ध गतिविधि संचालित नहीं करेगा अन्यथा निविदाकर्ता के विरूद्ध विधिवत् कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

15— कैंटीन संचालक/द्वितीय पक्ष या उसके कर्मचारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि हेतु परिसर का उपयोग नहीं करेंगे। उक्त शर्त का उल्लघंन करने पर कैंटीन अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

16— कैंटीन संचालक/द्वितीय पक्ष द्वारा ग्राहक/अधिवक्तागण/पक्षकारगण/कर्मचारीगण से कैंटीन संचालन के दौरान किसी तरह का विवाद नहीं करेगा।

17— कैंटीन संचालक/द्वितीय पक्ष द्वारा कैंटीन परिसर में कोई खतरनाक सामान/प्रतिबंधित/अवैध/विषाक्त सामग्री/पान, गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट, शराब आदि का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उक्त शर्त का उल्लंघन किए जाने पर किसी भी प्रकार की दाण्डिक कार्यवाही हेतु स्वयं जिम्मेदार रहेगा।

18— कैंटीन परिसर उपयोग आवासीय उद्देश्य के लिए नहीं किया जावेगा। अध्यक्ष, कैंटीन संचालन समिति/सिविल न्यायालय सबलगढ़ जिला मुरैना (म.प्र.) की लिखित अनुमति के बिना किसी भी कर्मचारी या व्यक्ति को रात में कैंटीन में रहने अथवा काम करने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

19— कैंटीन में कामगारों के आचरण/चरित्र/पूर्ववत् और उचित आचरण व्यवहार की पूरी जिम्मेदार कैंटीन संचालक की होगी। द्वितीय पक्ष/लायसेंसीधारी को उनके सभी कर्मचारियों के संबंध में (स्थायी/अस्थायी/आकस्मिक) में उनके आवश्यक विवरण के साथ आधार कार्ड/पहचान पत्र की प्रति सहित अध्यक्ष, कैंटीन संचालन समिति/सिविल न्यायालय सबलगढ़ जिला मुरैना (म.प्र.) को प्रदान करना होगी।

20— समय–समय पर प्रथम पक्ष/अध्यक्ष, कैंटीन संचालन समिति/सिविल न्यायालय सबलगढ़ जिला मुरैना (म.प्र.) या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कैंटीन का निरीक्षण किया जा सकेगा।

21— कैंटीन संचालक/द्वितीय को कैंटीन संचालन के दौरान उन्हें कैंटीन संचालन न्यायालयीन कार्य एवं समय–समय पर प्रथम पक्ष द्वारा दिए गए निर्देशानुसार किया जावेगा। लोक अदालत आदि के विशेष अवसर पर कैंटीन का संचालन आवश्यक रूप से किया जावेगा।

22— कैंटीन संचालक/द्वितीय पक्ष द्वारा उन्हें कैंटीन संचालन हेतु आवंटित स्थान पर किसी भी प्रकार का अस्थाई निर्माण/संरचना नहीं किया जावेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा कैंटीन संचालन हेतु जो स्थान प्रदान किया जावेगा, उनके द्वारा कोई भी अस्थाई निर्माण, जो कि व्यवसाय संचालन में आवश्यक

हो तो जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, कैंटीन संचालन समिति से अनुमति उपरांत ही किया जाना संभव होगा।

23– कैंटीन संचालक/द्वितीय पक्ष कैंटीन कक्ष का पृथक से विद्युत संयोजन संबंधित मध्यप्रदेश मध्य विद्युत वितरण कंपनी से प्राप्त करना होगा तथा निर्धारित अवधि में संबंधित विभाग को विद्युत देयक का भुगतान करेगा। कैंटीन संचालन हेतु पर्याप्त पेयजल व्यवस्था स्वयं के व्यय पर करना होगी।

24– कैंटीन संचालन के लिए संचालक द्वारा ही समस्त आवश्यक उपकरण एवं सामग्रियों को रखा जावेगा एवं रख–रखाव में हुए व्यय का वहन स्वयं करना होगा।

25– कैंटीन संचालक, कैंटीन दुकान का विधि अनुसार संबंधित नगर पालिका परिषद् स्थापना अधिनियम के अंतर्गत दुकान पंजीयन कराएगा तथा कैंटीन संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

26– कैंटीन संचालक द्वारा शुद्ध एवं उचित मूल्य, मानक स्तर की खाद्य सामग्री विक्रय की जावेगा तथा खाद्य सामग्री विक्रय की दर कैंटीन संचालन समिति द्वारा अनुमोदित कराई जावेगी, ऐसी दर बाजार दर से अधिक नहीं होगी।

27– विक्रय योग्य वस्तुओं की दरें कैंटीन परिसर में सदृश्य भाग पर प्रदर्शित करने का उत्तरदायित्व भी कैंटीन संचालक का होगा।

28– कैंटीन संचालक, कैंटीन कक्ष तथा आसपास के परिसर को पूर्णतः स्वच्छ रखेगा। कैंटीन समिति द्वारा निरीक्षण के दौरान अस्वच्छता पाई जाने पर समिति द्वारा प्रति दिवस रूपये 500/– रूपये की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित किया सकेगा।

29– कैंटीन संचालक, अनावश्यक रूप से कैंटीन बंद नहीं रखेगा, अन्यथा कैंटीन संचालन समिति के द्वारा प्रति दिवस रूपये 500/– की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा।

30– कैंटीन संचालन में व्यवधान आने की स्थिति में कैंटीन संचालन समिति का कोई उत्तरदायित्व नहीं रहेगा।

31– कैंटीन संचालन द्वारा विक्रय किए जाने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता अच्छा रखना होगी तथा नियम कानूनों और विनियमों के अनुसार लागू होना चाहिए, जिसका औचक निरीक्षण किसी भी समय किया जाकर अथवा उल्लंघन होने पर लायसेंस रद्द किया जा सकेगा।

32– अध्यक्ष, कैंटीन संचालन समिति/सिविल न्यायालय सबलगढ़ जिला मुरैना (म.प्र.) द्वारा न्यायालय भवन परिसर में कैंटीन संचालन हेतु स्थान का चयन किया जावेगा। द्वितीय पक्ष निविदा फार्म जमा करने के पूर्व कैंटीन संचालन स्थान का अवलोकन आवश्यक रूप से कर लेवे।

33– सफल निविदाकर्ता/कैंटीन संचालक द्वारा निविदा फार्म में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन किए जाने संबंधी अनुबंध निर्धारित प्रारूप उचित स्टॉप शुल्क पर स्वयं के व्यय पर निष्पादन किया जावेगा।

34– अध्यक्ष, कैंटीन संचालक समिति/सिविल न्यायालय सबलगढ़ जिला मुरैना (म.प्र.) द्वारा अनुमोदित समय पर सामान्यतः 09:00 बजे से सांय 07:00 बजे तक ही चलाई जावेगी तथा न्यायालयीन सुरक्षा और अनुशासन का कैंटीन संचालक को पूर्ण पालन करना होगा। न्यायालयीन अवकाश के दिनों मे बिना अनुमति के कैंटीन का संचालन नहीं किया जावेगा।

35– समिति द्वारा आपराधिक पृष्ठ भूमि वाले या पूर्व में शर्तों का उल्लंघन करने/विवाद वाले/अन्यथा अभिभाषकों/न्यायालयीन कर्मचारियों/पक्षकारों आदि से विवाद करने वाले व्यक्तियों को निविदा की कार्यवाही में भाग लिए जाने से अयोग्य घोषित किया जा सकेगा/उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जा सकेगा/निविदा निरस्त की जा सकेगी।

36– अध्यक्ष, कैंटीन संचालन समिति/सिविल न्यायालय सबलगढ़ जिला मुरैना (म.प्र.) को यह अधिकार रहेगा कि वह निविदा के अंतर्गत की गई शर्तों में किसी शर्त का परिवर्तित या परिवर्धित अथवा रद्द कर सकता है।

37– कैंटीन संचालक द्वारा स्थाई कैंटीन की दुकान वाले भाग में स्वयं के व्यय पर संपूर्ण बैठक व्यवस्था/मरम्मत आदि का कार्य करना होगा।

38– कैंटीन संचालक द्वारा कैंटीन परिसर की सुरक्षा हेतु अग्निशामक उपकरण की व्यवस्था स्वयं के व्यय पर करना होगी एवं कैंटीन संचालन को परिसर में किसी भी प्रकार की क्षति/हानि होने से की स्थिति में नुकसान की भरपाई करना होगी।

39– कैंटीन संचालन से संबंधित मामलों में अध्यक्ष, कैंटीन संचालन समिति/जिला न्यायाधीश, सबलगढ़ जिला मुरैना (म.प्र.) का निर्णय अंतिम और कैंटीन संचालक पर बाध्यकारी होगा।

40— ऊपर वर्णित शर्तो के उल्लंघन के संबंध में अध्यक्ष, कैंटीन संचालन समिति/सिविल न्यायालय सबलगढ़ जिला मुरैना (म.प्र.) का निर्णय अंतिम और कैंटीन संचालक पर बंधनकारी होगा। उपरोक्त दर्शित 01 लगायत 40 अनुबंध की शर्तें स्वीकार है, जिसका पालन मेरे द्वारा कैंटीन संचालन की अवधि में पालन किया जावेगा।

द्वितीय पक्ष/कैंटीन संचालक

.....

.....

.....

कैंटीन संचालन समिति का अभिमत एवं अनुमोदनः—

सदस्य
कैंटीन संचालन समिति एवं
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
सबलगढ़ जिला मुरैना (म.प्र.)

सदस्य
कैंटीन संचालन समिति एवं
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
सबलगढ़ जिला मुरैना (म.प्र.)

सदस्य
कैंटीन संचालन समिति एवं
द्वितीय जिला न्यायाधीश
सबलगढ़ जिला मुरैना (म.प्र.)

अध्यक्ष
कैंटीन संचालन समिति एवं
प्रथम जिला न्यायाधीश
सबलगढ़ जिला मुरैना (म.प्र.)